



प्रेषक,

डा० आजाद हिन्द प्रसाद,
निदेशक प्रमुख(प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन, बिहार राज्य अन्तर्गत।

सभी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार राज्य अंतर्गत।

पटना, दि०- 26.7.2016

विषय:- जिलों में कार्यरत स्वास्थ्य प्रशिक्षकों के कार्य निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सेवाओं का लाभ सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु राज्य में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत स्वास्थ्य प्रशिक्षकों, जो पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी हैं, तथा जिला एवं प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। विभागीय अधिसूचना सं०-198(4) दिनांक-28.02.2014 के द्वारा स्वास्थ्य प्रशिक्षकों का कार्य एवं दायित्व पूर्व से निर्धारित है। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी को सुचारु रूप से उपलब्ध कराने हेतु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य प्रशिक्षकों से निम्नांकित कार्य लिया जाय।

- (i) सिविल सर्जन/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन रहते हुए उन्हे जिले में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं अधिनस्थ कर्मियों की उपस्थिति का अनुश्रवण करना।
- (ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, अति विशिष्ट अस्पताल एवं जिला अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता एवं वितरण का अनुश्रवण करना।
- (iii) जिला स्वास्थ्य समिति में 104 शिकायतों को सुनना एवं प्राथमिकता के आधार पर उन शिकायतों का निराकरण करवाना।
- (iv) जिला के सरकारी एंबुलेसों के कार्य का अनुश्रवण करना।
- (v) उपाधीक्षक के अधीन कार्य करते हुए जिला स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ मिलकर जिला अस्पतालों में यह सुनिश्चित करना कि उक्त अस्पतालों में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ रोगियों को उपलब्ध होता रहे। तदानुसार उपर्युक्त के आलोक में उनसे कार्य लिया जाय।

विश्वासभाजन

[Handwritten Signature]

निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना

ज्ञापांक- 717 (4)

...../पटना, दिनांक- 26.7.2016

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]

निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना